क्रम-संख्या-232

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 20 सितम्बर, 2011

भाद्रपद 29, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1034/79-वि-1—11-1(क)21-11
लखनऊ, 20 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 पर दिनांक 19 सितम्बर, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2011 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2011

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2011)

[उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1984 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, अधिनियम, 1984 की धारा–2 में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

"(घ) "स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी से है, जिसे स्थानीय स्वायत्त शासन के प्रयोजन के लिए गठित किया गया हो या जो नगर पालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्धन करने के लिए विधिमान्य रूप से हकदार हो या जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा कार्य सौंपा गया हो और इसके अंतर्गत निगमित या अनिगमित कोई सोसाइटी, निकाय या संस्था भी है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से, स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचित किया गया हो, किन्तु जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या कोई संयुक्त समिति सम्मिलित नहीं है।"

उद्देश्य और कारण

राज्य में कतिपय निगमित और अनिगमित निकायों के स्थानीय प्राधिकारियों एवं निधियों के प्रबंधन तथा नियंत्रण के अधीन स्थानीय निधियों की लेखा–परीक्षा को विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1984) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) में शब्द "स्थानीय प्राधिकारी" परिभाषित है। इस परिभाषा में ग्राम प्रशासन के प्रयोजन के लिए गठित किसी अन्य प्राधिकारी में जिला पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, ग्राम पंचायतें और न्याय पंचायतें सम्मिलित हैं। चूंकि जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों की लेखाओं की लेखा–परीक्षा अब मुख्य लेखा–परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां और पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा की जाती है, इसलिए ग्राम प्रशासन की उक्त निकायों के अस्तित्व से, भ्रम उत्पन्न हो रहा है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों और किसी संयुक्त समिति को "स्थानीय प्राधिकारी" की परिभाषा से अपवर्जित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
के०के० शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1034(2)/79-V-1-11-1(ka)21-11

Lucknow, Dated September 20, 2011

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sthaniya Nidhi Lekha Pariksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2011) as pased by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 19, 2011.

THE UTTAR PRADESH LOCAL FUND AUDIT (AMENDMENT) ACT, 2011

(U.P. ACT NO. 19 OF 2011)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Local Fund Audit Act, 1984.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Local Fund Audit (Amendment) Act, 2011.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 12 of 1984

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Local Fund Audit Act, 1984 *for* clause (d) the following clause shall be *substituted,* namely:–

"(d) "local authority" means a Nagar Panchayat, Municipal Council, Municipal Corporation or any other authority constituted for the purpose of local self-Government or legally entitled to, or entrusted by, the State Government with the control or management of municipal or local fund and includes any society, body or institution, whether incorporated or not, notified by the State Government by general or special order to be a local authority for the purposes of this Act, but does not include a Zila Panchayat, Kshettra Panchayat, Gram Panchavat. Nvava Panchavat or a Joint Committee."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Local Funds Audit Act, 1984 (U.P. Act no. 12 of 1984) has been enacted to provide for regulating Audit of Local Funds under the management and control of Local Authorities & Funds of certain corporate and non-corporate bodies in the State. Clause (d) of section 2 of the said Act defines the words "local authority". In this definition any other authority constituted for the purpose of village administration which includes the Zila Panchayats, Kshettra Panchayats, Gram Panchayats and Nyaya Panchayats. Since the accounts of Zila Panchayats, Kshettra Panchayats, Gram Panchayats and Nyaya Panchayats are now audited by the Chief Audit Officer, Cooperative Societies and Panchayats, Uttar Pradesh, the existance of the said bodies of village administration are creating confusion. It has, therefore, been decided to amend the said Act to exclude the Zila Panchayats, Kshettra Panchayats, Gram Panchayats, Nyaya Panchayats and any joint committee from the definition of "local authority".

The Uttar Pradesh Local Funds Audit (Amendment) Bill, 2011 is introduced accordingly.

By order,
K.K. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 385 राजपत्र–(हिन्दी)–2011–(952)–599 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 99 सा0 विधा0–2011–(953)–500 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।